-प्रेस नोट-

दिनांकः-30.10.2024

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जनपद सहारनपुर उत्तर प्रदेश

थाना देवबन्द, सहारनपुर पुलिस द्वारा चोरी की घटनाओ का सफल अनावरण करते हुए 03 अभियुक्त गिरफ्तार, कब्जे से चोरी गया माल 02 अदद नाजायज चाकू, 01 अदद चोरी का स्टार्टर, 01 लकडी का बोर्ड व गियर बाक्स के लोहे के पुर्जे आदि सामान बरामद

अवगत कराना है कि दिनांक 26.07.2024 को वादी श्री राजीव त्यागी प्रबंधक सुरक्षा एवं प्रशासन त्रिवेणी इंजीनियरिंग एवं इण्डस्ट्रीज लिमिटेड देवबंद जनपद सहारनपुर की लिखित सूचना बाबत अज्ञात चोरो द्वारा वैक्यूम फिल्टर की ड्रम गियर बॉक्स 1 नं0 एवं बेल्ट कन्वेयर की गियर बॉक्स नं0-1 चोरी कर लेने की सूचना के आधार पर थाना देवबंद पर मु0अ0स0 542/24 धारा 305(A) बी0एन0एस0 के पंजीकृत किया गया तथा दिनांक 22.06.2024 को वादी दिलशाद अली खां एडवोकेट पुत्र श्री इरशाद अली खां नि0 ग्राम बन्हेडा खास थाना देवबन्द सहारनपुर ने थाने पर आकर सूचना दी कि अज्ञात चोरो द्वारा वादी व वादी के भतीजे अबुबकर पुत्र डा0 शहजाद अली व मो0 अकरम पुत्र रफीक अहमद की टयूबवैलो से स्टार्टर आपरेटर खेती के औजार छत का पंखा, कुल्हाडे व टूल्स चोरी कर लेने की सूचना के आधार पर थाना देवबंद पर मु0अ0स0 399/24 धारा 379 भादवि के पंजीकृत किया गया था।

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, सहारनपुर के निर्देशन में चोरी/नकबजनी/लूट आदि आपराधिक घटनाओं की रोकथाम व नकबजन/लूटेरे/शातिर अपराधियों की गिरफ्तारी हेतु चलाये जा रहे अभियान के क्रम में पुलिस अधीक्षक ग्रामीण एवं क्षेत्राधिकारी देवबन्द के निकट पर्यवेक्षण में व प्रभारी निरीक्षक सुनील नागर के निर्देशन मे दिनांक 29.10.2024 को मुखबिर की सूचना पर थाना देवबन्द पुलिस टीम द्वारा उपरोक्त दोनो मुकदमों का अनावरण करते हुए चोरी के मुकदमों में वांछित चल रहे **03 अभियुक्तगण 1.सादान पुत्र अब्दुल कादिर निवासी मौहल्ला खानकाह कस्बा व थाना देवबन्द जनपद सहारनपुर, 2. बाबर पुत्र बदर निवासी मौ0 पक्का बाग एचएवी इन्टर कालेज के पास कस्बा व थाना देवबन्द जनपद सहारनपुर व 3. अहमद पुत्र बदर निवासी मौ0 पक्का बाग एचएवी इन्टर कालेज के पास कस्बा व थाना देवबन्द जनपद सहारनपुर** को 02 नाजायज चाकू व एक अदद चोरी का स्टार्टर व 03 कटआउट मय लकडी के बोर्ड व गियर बाक्स के लोहे के पुर्जे सहित मकबरा रोड पर अमरूद के बाग से गिरफ्तार किया गया है। गिरफ्तारी व बरामदगी के आधार पर उपरोक्त मुकदमो में धारा 317(2) बीएनएस व 411 भादवि एवं धारा 4/25 आर्म्स एक्ट की वृद्धि की गयी। गिरफ्तार अभियुक्तगण के विरूद्ध विधिक कार्यवाही कर समय से मा0 न्यायालय के समक्ष पेश किया जा रहा है।

पूछताछ विवरणः–अभियुक्तगण ने पूछताछ पर बताया कि हम तीनो लोग चोरी करते है तथा चोरी के सामान को बेचकर जो पैसे मिलते है उन्हे आपस में बांट लेते है तथा मौज मस्ती करते है। अभी कुछ दिन पहले हमने देवबन्द शुगर मिल से गियर बाक्स चोरी किये थे तथा दिनांक 24/25-09-24 की रात्रि में दुगचाडा रोड पर भन्डेडा के जंगलो से तीन ट्यूबवैलो से स्टार्टर, कटआउट व छत का पंखा व कुल्हाडी चोरी कर लिया था। जिसमें से छत का पंखा तथा कुल्हाडी व गियर बक्से का कुछ सामान एक चलते फिरते अन्जान कबाडी को बेच दिये थे और जो रूपये मिले थे वह हमने आपस में बांट लिये थे तथा मौज मस्ती में खर्च कर दिये थे। साहब जो चोरी का सामान बचा है वह हमने मकबरा पुलिया से शमशान घाट की तरफ जाने वाले रास्ते पर एक जगह पर छिपा रखा है। आज उस सामान के बेचने के लिये बातचीत करने के लिये हम यहाँ बाग में आये थे। हम आपस में बाते कर ही रहे थे कि आपने हमें पकड लिया है। साहब हमारे पास से जो ये चाकू मिले है इन्हे हम चोरी करते समय अपनी सुरक्षा के लिये अपने पास रखते है। साहब यदि आप कहो तो हम आपके साथ चलकर मकबरा पुलिया से शमशान घाट की तरफ जाने वाले रास्ते से चोरी का बाकी सामान बरामद करा सकते है

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पताः–

1. सादान पुत्र अब्दुल कादिर निवासी मौहल्ला खानकाह कस्बा व थाना देवबन्द जनपद सहारनपुर
2. बाबर पुत्र बदर निवासी मौ0 पक्का बाग एचएवी इन्टर कालेज के पास कस्बा व थाना देवबन्द जनपद सहारनपुर
3. अहमद पुत्र बदर निवासी मौ0 पक्का बाग एचएवी इन्टर कालेज के पास कस्बा व थाना देवबन्द जनपद सहारनपुर

बरामदगी का विवरणः–

- 02 अदद नाजायज चाकू
- 01 अदद चोरी का स्टार्टर
- 01 लकडी का बोर्ड
- गियर बाक्स के लोहे के पुर्जे

आपराधिक इतिहास अभियुक्त बाबर–

1. मु0अ0सं0 529/2019 धारा 25/4 आयुध अधिनियम (थानादेवबंद)
2. मु0अ0सं0 821/2019 धारा 25/4 आयुध अधिनियम (थानादेवबंद)

आपराधिक इतिहास अभियुक्त अहमद–

1. मु0अ0सं0 140/2016 धारा 380/511 भादवि0 (थानादेवबंद)
2. मु0अ0सं0 185/2019 धारा 25/3 आयुध अधिनियम (थाना देवबंद)
3. मु०अ०सं० 311/2022 धारा 25/4 आयुध अधिनियम (थाना देवबंद)
4. मु0अ0सं0 319/2020 धारा 25/3 आयुध अधिनियम (थानादेवबंद)
5. मु0अ0सं0 405/2020 धारा 22/8 स्वापक औषधि और मनःप्रभावी पदार्थ अधिनियम (थानादेवबंद)
6. मु0अ0सं0 435/2019 धारा 379/411 भादवि0 (थानादेवबंद)
7. मु0अ0सं0 514/2018 धारा 22/8 स्वापक औषधि और मनःप्रभावी पदार्थ अधिनियम (थानादेवबंद)
8. मु0अ0सं0 792/2015 धारा 380/411 भादवि0 (थानादेवबंद)
9. मु0अ0सं0 811/2016 धारा 18/20 नोरकोटिक ड्रग्स एंड साइक्रोट्रोपिक सब्सटानसिस एक्ट (धानादेवबंद)

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीमः-

1. उ0नि0 श्री विकास चारण मय हमराही व, थाना देवबंद जनपद सहारनपुर
2. उ0नि0 श्री राजन पुण्डीर थाना देवबंद जनपद सहारनपुर
3. का0 976 गौरव दांगी, थाना देवबंद जनपद सहारनपुर
4. का0 तरूण कुमार, थाना देवबंद जनपद सहारनपुर

-प्रेस नोट-

दिनांकः-30.10.2024

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जनपद सहारनपुर उत्तर प्रदेश

थाना सरसावा, सहारनपुर पुलिस द्वारा 01 वारण्टी अभियुक्त को किया गया गिरफ्तार

अवगत कराना है कि वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, सहारनपुर के निर्देशन में अपराध की रोकथाम व वांछित/वारण्टी अपराधियो की गिरफ्तारी हेतु चलाये जा रहे अभियान के अनुपालन में पुलिस अधीक्षक ग्रामीण एवं क्षेत्राधिकारी नकुड़ के निकट पर्यवेक्षण में तथा प्रभारी निरीक्षक सरसावा के कुशल नेतृत्व मे आज दिनांक 30.10.2024 को मुखबिर की सूचना पर थाना सरसावा पुलिस टीम द्वारा एक वारण्टी **अभियुक्त फरमान पुत्र इरफान निवासी ग्राम धौलापड़ा थाना सरसावा जिला सहारनपुर** को सम्बन्धित वाद संख्या 4210/24 अ0सं0 213/15 धारा 60 आबकारी अधिनियम व धारा 82/83 सीआरपीसी में ग्राम धौलापड़ा से गिरफ्तार किया गया। अभियुक्त के विरूद्ध विधिक कार्यवाही कर समय से मा0 न्यायालय के समक्ष पेश किया जा रहा है।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पताः-

फरमान पुत्र इरफान निवासी ग्राम धौलापड़ा थाना सरसावा जिला सहारनपुर

गिरफ्तार करने वाली टीम

1. उ0नि0 श्री चन्द्रपाल सिंह थाना सरसावा सहारनपुर
2. का0 1497 मोनू तोमर थाना सरसावा सहारनपुर

दिनांकः-30.10.2024

-प्रेस नोट-

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जनपद सहारनपुर उत्तर प्रदेश

थाना देवबन्द, सहारनपुर पुलिस द्वारा जानलेवा हमले के मुकदमें में 02 वांछित अभियुक्तो को किया गया गिरफ्तार

अवगत कराना है कि दिनांक 22.10.2024 को वादी विलायत अली पुत्र जमशेद निवासी ग्राम बन्हेडा खास थाना देवबन्द जिला सहारनपुर द्वारा सूचना दी गयी कि अभियुक्तगण 1. शाहबान पुत्र निन्ना, 2. आबाद पुत्र निन्ना, 3. वसीम उर्फ चीम पुत्र निन्ना, 4. नूरा उर्फ नूर मौहम्मद पुत्र निन्ना, 5. शाहवेज पुत्र निन्ना, 6. निन्ना पुत्र अली हसन, 7. नदीम पुत्र सगीर व 8. अलमाज पुत्र नदीम समस्त निवासीगण ग्राम बन्हेडा खास थाना देवबन्द जिला सहारनपुर द्वारा एक राय होकर गाली गलोज करते हुए लाठी डण्डे, बलकटी व धारदार हथियार लेकर वादी के घर मे घुसकर वादी के भाई औरंगजैब के साथ जान से मारने की नियत से मारपीट करना व घर की महिलाओ के साथ अश्लील हरकते करने के सम्बन्ध मे थाना देवबंद पर मु0अ0सं0 595/2024 धारा 191(1)/333/109(1)/74/352 बीएनएस पंजीकृत किया गया था।

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, सहारनपुर के निर्देशन में अपराध की रोकथाम व वांछित/वारण्टी/शातिर अपराधियों की धरपकड़ हेतु चलाये जा रहे अभियान के क्रम में पुलिस अधीक्षक ग्रामीण एवं क्षेत्राधिकारी देवबन्द के निकट पर्यवेक्षण में तथा प्रभारी निरीक्षक श्री सुनील नागर के कुशल नेतृत्व में आज दिनांक 30.10.2024 को मुखबिर की सूचना पर थाना देवबन्द पुलिस टीम द्वारा मुकदमा उपरोक्त में प्रभावी कार्यवाही करते हुए जानलेवा हमले के मामलें में 02 वांछित **अभियुक्तगण 1. शाहबान पुत्र निन्ना निवासी ग्राम भन्हेडा खास थाना देवबन्द जनपद सहारनपुर व 2. वसीम पुत्र निन्ना निवासी ग्राम भन्हेडा खास थाना देवबन्द जनपद सहारनपुर** को सन्तविहार कालोनी, मकबरा रोड खाली मैदान के पास से गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार अभियुक्तगण के विरूद्ध विधिक कार्यवाही कर समय से मा0 न्यायालय के समक्ष पेश किया जा रहा है।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पताः–

1. शाहबान पुत्र निन्ना निवासी ग्राम भन्हेडा खास थाना देवबन्द जनपद सहारनपुर
2. वसीम पुत्र निन्ना निवासी ग्राम भन्हेडा खास थाना देवबन्द जनपद सहारनपुर

बरामदगीः–

02 पलकटी

01 अदद डण्डा

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीमः-

1. उ0नि0 श्री विकास चारण थाना देवबंद जनपद सहारनपुर
2. है0का0 794 अरुण सोलंकी थाना देवबंद जनपद सहारनपुर
3. का0 976 गौरव दांगी थाना देवबंद जनपद सहारनपुर

दिनांकः 30.10.2024

-प्रेस नोट-

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जनपद सहारनपुर, उत्तर प्रदेश

थाना कोतवाली मण्डी, सहारनपुर पुलिस द्वारा वारण्टी अभियुक्त को किया गया गिरफ्तार

अवगत कराना है कि वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, सहारनपुर के निर्देशन में अपराध की रोकथाम व वांछित/वारण्टी/शातिर अपराधियो की गिरफ्तारी हेतु चलाये जा रहे अभियान के अनुपालन में पुलिस अधीक्षक नगर एवं क्षेत्राधिकारी नगर प्रथम के निकट पर्यवेक्षण मे तथा प्रभारी निरीक्षक मण्डी के कुशल नेतृत्व में आज दिनांक 30.10.2024 को थाना कोतवाली मण्डी पुलिस टीम द्वारा 01 वारण्टी **अभियुक्त तोलन उर्फ सरवर उर्फ हवाहवाई पुत्र मुन्ना निवासी सिंगी वाला जोहड मानकमऊ , थाना कुतुबशेर, सहारनपुर** को सम्बन्धित वाद सं0 449/15 व मु0अ0सं0 122/15 धारा 304/504 भादवि चालानी थाना मण्डी स0पुर नियत दिनांक 04.11.2024 (सम्बन्धित मा0 न्यायालय एडीजे-01, स0पुर) मे मानकमऊ से गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार अभियुक्त के विरुद्ध आवश्यक विधिक कार्यवाही कर समय से मा0 न्यायालय के समक्ष पेश किया जा रहा है।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता –

तोलन उर्फ सरवर उर्फ हवाहवाई पुत्र मुन्ना निवासी सिंगी वाला जोहड मानकमऊ, थाना कुतुबशेर, सहारनपुर

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम–

1. उ0नि0 श्री अतुल कुमार थाना मण्डी जनपद सहारनपुर
2. है0का0 477 विनोद पवार थाना मण्डी जनपद सहारनपुर
3. का0 1627 अमित कुमार थाना मण्डी जनपद सहारनपुर

-प्रेस नोट-

दिनांकः 30.10.2024

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जनपद सहारनपुर, उत्तर प्रदेश

थाना नकुड़, सहारनपुर पुलिस द्वारा एक वारण्टी अभियुक्त को किया गया गिरफ्तार

अवगत कराना है कि वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, सहारनपुर के निर्देशन में अपराध की रोकथाम व वांछित/वारण्टी अपराधियो की गिरफ्तारी हेतु चलाये जा रहे अभियान के अन्तर्गत पुलिस अधीक्षक ग्रामीण व क्षेत्राधिकारी नकुड़ के निकट पर्यवेक्षण मे तथा प्रभारी निरीक्षक नकुड़ के कुशल नेतृत्व मे आज दिनांक 30.10.2024 को मुखबिर की सूचना पर थाना नकुड़ पुलिस टीम द्वारा एक वारण्टी **अभियुक्त संजीव उर्फ संजू पुत्र राजेन्द्र निवासी ग्राम शुक्रताल थाना नकुड जनपद सहारनपुर** को सम्बन्धित वाद सं0 9300/24 व मु0अ0सं0 190/22 धारा 147/148/324/325/308/452/504/506 भादवि चालानी थाना नकुड निर्गत मा0न्यायालय अपर जिला एवं सत्र न्यायालय द्वितीय सहारनपुर में ग्राम शुक्रताल से गिरफ्तार किया गया। अभियुक्त के विरुद्ध विधिक कार्यवाही कर माननीय न्यायालय के समक्ष पेश किया जा रहा है।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पताः-

संजीव उर्फ संजू पुत्र राजेन्द्र निवासी ग्राम शुक्रताल थाना नकुड जनपद सहारनपुर

अभियुक्त को गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीमः-

1. प्रभारी निरीक्षक श्री अवीनाश गौतम थाना नकुड जनपद सहारनपुर।
2. उ0नि0 श्री प्रमोद कुमार थाना नकुड जनपद सहारनपुर।
3. का0 2022 तुषार अधाना थाना नकुड जनपद सहारनपुर।
4. का0 480 प्रवीण कुमार थाना नकुड जनपद सहारनपुर।

दिनांकः 30.10.2024

-प्रेस नोट-

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जनपद सहारनपुर, उत्तर प्रदेश

थाना नानौता, सहारनपुर पुलिस द्वारा मात्र 03 घण्टे में चोरी की घटना का सफल अनावरण करते हुए 01 अभियुक्त गिरफ्तार, कब्जे/निशानदेही पर चोरी गया शत प्रतिशत आभूषण (सफेद/पीली धातू) व अन्य कागजात बरामद

अवगत कराना है कि दिनांक 30.10.2024 को वादी मुबारक पुत्र भूरा निवासी ग्राम ढाकादेई थाना नानौता जनपद सहारनपुर की लिखित तहरीर बाबत अभियुक्त कासिम पुत्र निसार निवासी ग्राम ढाकादेई थाना नानौता जनपद सहारनपुर द्वारा वादी के घर मे रखे सोने/चाँदी के आभूषण व 01 मोबाईल चोरी कर ले जाने के सम्बन्ध में थाना नानौता पर मु0अ0सं0 256/24 धारा 305 बीएनएस के पंजीकृत किया गया था।

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, सहारनपुर द्वारा तत्काल घटना का संज्ञान लेकर घटना का सफल अनावरण व इसमें संलिप्त अपराधी की गिरफ्तारी हेतु आदेश-निर्देश दिए गए। आदेश के क्रम में पुलिस अधीक्षक ग्रामीण एवं क्षेत्राधिकारी गंगोह के निकट पर्यवेक्षण मे तथा थाना प्रभारी श्री सचिन पूनिया के कुशल नेतृत्व में आज दिनांक 30.10.2024 को मुखबिर की सूचना पर थाना नानौता पुलिस टीम द्वारा मुकदमा उपरोक्त त्वरित कार्यवाही करते हुए चोरी की घटना का सफल अनावरण करते हुए मात्र 03 घण्टे में **अभियुक्त कासिम पुत्र निसार निवासी ग्राम ढाकादेई थाना नानौता जनपद सहारनपुर** को ग्राम ढाकादेई से गिरफ्तार किया गया । अभियुक्त के कब्जे/निशानदेही पर चोरी गये आभूषण (सफेद/पीली धातु), 01 मोबाईल व मेडिकल सम्बन्धी प्रपत्र बरामद। गिरफ्तारी व बरामदगी के आधार पर मुकदमा उपरोक्त मे धारा 317(2) बीएनएस की वृद्धि की गयी । अभियुक्त के विरूद्ध विधिक कार्यवाही करते हुए माननीय न्यायालय के समक्ष पेश किया जा रहा है।

अभियुक्त उपरोक्त ने बताया कि मुझे पैसो की बहुत जरुरत थी, इसलिए मैने कल रात अपने गांव के ही मुबारक के घर मे घुस कर सोने चांदी के जेवर, मोबाइल आदि सामन चोरी कर लिया था।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पताः-

कासिम पुत्र निसार निवासी ग्राम ढाकादेई थाना नानौता जनपद सहारनपुर

आपराधिक इतिहास अभि0 कासिम

1. मु0अ0सं0 95/22 धारा 8/22 एनडीपीएस एक्ट थाना नानौता जनपद सहारनपुर
2. मु0अ0स0 256/24 धारा 305ए/317(2) बीएनएस थाना नानौता जनपद सहारनपुर

बरामदगी का विवरण-

- 01 मोबाईल वीवो गोल्डन कलर
- 01 गले की चैन मय लोकर सफेद धातु
- 01 जोडी पाजेब सफेद धातु
- 01 कडे सफेद धातु
- 01 जोडी हाथो के दस्तबन्द सफेद धातु

- 01 जोडी बिछुए सफेद धातु
- 01 अंगूठी सफेद धातु
- 01 गले का हार सफेद धातु
- 01 जोडी कानो के टाप्स पीली धातु
- 01 गले का हार पीली धातु
- मुसर्रफ के मेडिकल सम्बन्धी दिल्ली मेडिकेयर सैन्टर के 3 वर्क कागजात

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीमः-

1. थानाध्यक्ष श्री सचिन पूनिया थाना नानौता जनपद सहारनपुर
2. उ0नि0 श्री नीरज सिह थाना नानौता जनपद सहारनपुर
3. हे0का0 667 बिशम्बर थाना नानौता जनपद सहारनपुर

-प्रेस नोट-

दिनांकः30-10-2024

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जनपद सहारनपुर, उत्तर प्रदेश

थाना चिलकाना पुलिस द्वारा स्नैचिंग (झपटमारी) का 01 वांछित अभियुक्त गिरफ्तार

अवगत कराना है कि दिनाँक 30.10.2024 को वादी श्री इरशाद पुत्र गफूर निवासी खेडामेवात थाना चिलकाना जिला सहारनपुर द्वारा थाना उपस्थित आकर एक लिखित तहरीर बाबत अभियुक्तगण 1.सुखदेव पुत्र सुरेश निवासी ग्राम भीलपुरा थाना छिछरौली जिला यमुना नगर हरियाणा व 2.राजू पुत्र राजेश निवासी ग्राम बडगाव थाना चिलकाना सहारनपुर द्वारा वादी की साईकिल के कैरियल पर रखे बैग को झपट्टा मारकर भाग जाने के सम्बन्ध में थाना चिलकाना पर मु0अ0सं0 243/24 धारा 304 बी0एन0एस0 में पंजीकृत कराया गया।

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, सहारनपुर के निर्देशन में जनपद में अपराध नियंत्रण हेतु चोरी/छपटमारी/स्नैचिंग जैसी घटनाओं की रोकथाम हेतु चलाये जा रहे अभियान के अनुपालन में पुलिस अधीक्षक नगर एवं क्षेत्राधिकारी सदर के निकट पर्यवेक्षण में तथा थानाध्यक्ष श्री कपिल देव के कुशल नेतृत्व में आज दिनांक 30.10.2024 को मुखबिर की सूचना पर थाना चिलकाना पुलिस टीम द्वारा मुकदमा उपरोक्त के वांछित अभियुक्तगण **1.सुखदेव पुत्र सुरेश निवासी ग्राम भीलपुरा थाना छिछरौली जिला यमुना नगर हरियाणा व 2.राजू पुत्र राजेश निवासी ग्राम बडगावं थाना चिलकाना सहारनपुर** को पठेड दुमझेडा कच्चा पक्का कट के पास से गिरफ्तार किया गया। जिसके कब्जे से 01 बैग जिसमें कोस्मैटिक का सामान व आर्टिफिशियल ज्वैलरी बरामद हुई तथा घटना में प्रयुक्त 01 मोटर साइकिल REG NO. HR 71 K 0264, HF DELUXE BLACK COLOUR को अन्तर्गत धारा 207 एम वी एक्ट में सीज किया गया। गिरफ्तारी व बरामदगी के आधार पर मुकदमा उपरोक्त में धारा- 317(2) बीएनएस की वृद्धि की गयी। गिरफ्तार अभियुक्तगण के विरूद्ध विधिक कार्यवाही कर समय से मा0 न्यायालय के समक्ष पेश किया जा रहा है।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पताः-

1. सुखदेव पुत्र सुरेश निवासी ग्राम भीलपुरा थाना छिछरौली जिला यमुना नगर हरियाणा।
2. राजू पुत्र राजेश निवासी ग्राम बडगावं थाना चिलकाना सहारनपुर।

बरामदगी का विवरणः-

- 01 बैग मय कोस्मैटिक का सामान व आर्टिफिशियल ज्वैलरी
- 01 मोटर साइकिल (घटना में प्रयुक्त)

गिरफ्तार करने वाली पुलिस पार्टी का नाम:-

1. उ0नि0 पीयूष कुमार थाना चिलकाना सहारनपुर।
2. है0का0 246 हेमन्त कुमार चिलकाना सहारनपुर।
3. है0का0 934 कृष्णपाल सिंह थाना चिलकाना सहारनपुर।
4. का0 634 मनोज कुमार चिलकाना सहारनपुर।